

(6) वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट में जनपदवार उपलब्ध धनराशि की सीमा के उपर कदापि नहीं निर्गत किया जायेगा। जनपदवार फाण्ट के सही होने का दायित्व निदेशक, पंचायतीराज

का होगा। धनराशि का आहरण/ व्यय में भारत सरकार की गाइड लाइन/ दिशा-निर्देश का अनुपालन अक्षरशः सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्त वर्ष 2016-17 में आय- व्ययक के अनुदान संख्या- 14 के लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-198- ग्राम पंचायतों को सहायता-04-चौदहवें वित्त आयोग- 0401- सामान्य बुनियादी अनुदान संख्या- 20 सहायता- सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जाएगा।

3- यह आदेश वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय पत्र संख्या-ई-2- 1103 / दस- 2016, दिनांक 18.11. 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
H. 10/11/16
(सुशील कुमार मौर्य)
विशेष सचिव।

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, प्रथम/ आडिट प्रथम, 30प्र0 इलाहाबाद।
- 2- संबंधित मण्डलायुक्त।
- 3- संबंधित जिलाधिकारी, 30प्र0 ।
- 4- संबंधित मुख्य विकास अधिकारी, 30प्र0।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
- 6- संबंधित बैंकों को।
- 7- निदेशक, पंचायतीराज, लेखा 30प्र0।
- 8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/ वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-2
- 9- वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग ।
- 10- वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग।
- 11- समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, 30प्र0।
- 12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0सिंह)
उप सचिव।